राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– प.33 / मुसप्र / खुली बिक्री / 2011–12 / 1806   **दिनांकः–** 3-11-11

कार्यालय आदेश

मण्डल के परिपत्र क्रमांक प.33 / मुसप्र / खुली बिक्री / 2010–11 / 2107 दिनांक 12.11.2010 के बिन्दु संख्या 4 में प्रावधान किया गया था कि आवंटित आवास का कब्जा मूल आवेदक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जावे। पंजीकृत मुख्यत्यारनामा धारक की स्थिति में संबंधित अधिकारी रजिस्टर्ड मुख्यत्यारनामा धारक द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों एवं मुख्यत्यारनामे का गहनता से परीक्षण कर स्पष्ट अनुशंषा सहित प्रकरण स्वीकृति हेतु संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के मार्फत मुख्यालय को प्रेषित करेंगे एवं मुख्यालय की अनुमति पश्चात् ही रजिस्टर्ड मुख्यत्यारनामा धारक को कब्जा देने की कार्यवाही की जावेगी।

ऐसे प्रकरणों में सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने में काफी समय व्यतीत हो रहा है।

अतः उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 में आंशिक संशोधन कर सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ऐसे प्रकरण मुख्यालय को प्रेषित नहीं करे तथा संबंधित उप आवासन आयुक्त स्वयं के स्तर से रजिस्टर्ड मुख्यत्यारनामा का गहन परीक्षण कर गुण–अवगुण के आधार पर प्रकरण पर उचित निर्णय लेते हुए अग्रिम कार्यवाही करेगें।

(पवन कुमार गोयल)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर
2. मुख्य अभियन्ता, रा.आ.म., जयपुर
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियन्ता (समस्त), रा.आ.म., जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा.आ.म., जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
7. निदेशक (विधि) / जनसम्पर्क अधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
8. उप आवासन आयुक्त (समस्त), रा.आ.म. ....
9. आवासीय अभियन्ता (समस्त), रा.आ.म. ....
10. सम्पदा प्रबंधक (समस्त), रा.आ.म. ....
11. सहायक आवासन अधिकारी (समस्त), रा.आ.म. ....
12. असिस्टेन्ट कम्प्यूटर पौग्रामर राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक